उत्तर प्रदेश शासन
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2
सं0-6122/62-2-2017-2/4(17)/2017
लखनऊ: दिनांक: 13 अक्टूबर,2017

कार्यालय ज्ञाप

लघु सिंचाई जननद बलिया में पदस्थ सहायक अभियंता श्री केशव राम, जिनके पास लघु सिंचाई जनपद मऊ के रिक्त सहायक अभियंता का अतिरिक्त प्रभार भी है, जो दिनांक 10.08.2017 से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित चल रहे है, के आलोक में प्रशासकीय आधार पर तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित अवर अभियंताओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित स्तम्भ-3 में उल्लिखित जनपद के अवर अभियंता के कार्य के साथ-साथ स्तम्भ-4 में अंकित जनपद के सहायक अभियंता का कार्य अतिरिक्त रूप से देखे जाने हेतु नितान्त काम चलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:--

क्र0 सं0	नाम	वर्तमान तैनाती	सहायक अभियंता के पद का अतिरिक्त कार्यभार का जनपद
1	2	3	4
1-	श्री शीतला प्रसाद यादव, अवर अभियंता	आजमगढ	मऊ
2-	श्री राजेन्द्र सिंह, अवर अभियंता	आजमगढ	बलिया

2- इस हेतु उपर्युक्त अवर अभियंताओं की वरिष्ठता प्रभावित नही होगी और न ही किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता व अन्य वित्तीय लाभ अनुमन्य होगें। यह व्यवस्था प्रशासकीय कार्य हेतु है।

3- उक्त अवर अभियंताओं को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त व्यवस्था शासन के अग्रिम आदेशों अथवा नियमित सहायक अभियंता, लघु सिंचाई के पद पर तैनाती होने पर स्वत: समाप्त समझी जायेगी।

राम किंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव।

सं0-6122(1)/62-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ।
3- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी, उ0 प्र0 ।
4- संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त/अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, उ0 प्र0।
5- संबंधित अवर अभियंता द्वारा मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(विभाकर द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in